2025/007

आदेश
03.12.2025

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

बनवारी बनाम ओमप्रकाश आदि

प्रकरण संख्या 07 वर्ष 2025

मुकदमा किस्मः– 136 एलआरएक्ट एवं 151 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
08.10.2025	प्रार्थी बनवारी की तरफ से वकील श्री कृष्णकुमार ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट एवं 151 सीपीसी पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी के वकील को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र तथा संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा दूधली के ख. नं. 408/147 की 0.253 है. भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से तथा प्रार्थी को बैदखल करने से निषेद्ध रहें। उक्त निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में पेश करें। पत्रावली आईन्दा तारीख 10.11.2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
10.11.2025	प्रतिलिपि [illegible] चाहनेवाले [illegible] वकील दिनांक 3-12-2025 कुल पृष्ठ 7	
3.12.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं। वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं को बार-बार आवाज लगाई फिर भी हाजिर नहीं। प्रार्थना-पत्र अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.12.30 18:25:22 IST
Reason: SelfAttested